सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: https://uic.uk.gov.in

पत्रांक 10604/ उ0सू0आ0 / 2025–26 दिनांक 26.09. 2025

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

विषय :– नगर निगम के अभिलेखों के अभिलेखन और निर्दान (Weeding) की समयावधि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को राज्य की समस्त नगर निगमों के दो–दो अधिकारियों को "मास्टर ट्रेनर्स" के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के द्वारा अवगत कराया है कि नगर निगम से संबंधित अभिलेखों **के अभिलेखन और उनके निर्दान** (**Weeding) की समयावधि** हेतु कोई नियम प्रख्यापित नहीं हैं जिस कारण से नगर निगम के पुराने अभिलेखों का निर्दान (**Weeding**) किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी रूप से कियान्वयन किये जाने के लिए अभिलेखों का उचित प्रकार से रख–रखाव आवश्यक हैं। ऐसे अभिलेख जिनकी धारित रखने की समय–सीमा पूर्ण हो गयी है और भविष्य में ऐसे अभिलेखों के रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, का समय–समय पर **निर्दान (Weeding)** किया जाना प्रशासनिक कार्यशीलता के लिए आवश्यक है।

उक्त परिपेक्ष्य में यदि नगर निगम से संबंधित अभिलेखों **के अभिलेखन और उनके निर्दान (Weeding) की समयावधि** हेतु कोई नियम वर्तमान में प्रख्यापित नहीं किये गये हैं तो इस हेतु आवश्यक नियम प्रख्यापित कराये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि इस संदर्भ में नियम विद्यमान हैं तो सभी नगर निगमों को तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया
Digitally signed by
RADHA RATURI
Date: 25-09-2025
15:54:53
(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त